न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–204/17 (आर सी एम एस न. 2017/00154)

1. अजय,
2. संजय,
3. मदन, पुत्रान स्व. सांवरमल सैनी, निवासीगण सागरकी ढाणी तन मन्ड्रेला, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू।

—–अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा, जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार झुन्झुनू।
3. जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
4. बिलास पुत्र सागरमल सैनी निवासी सागर की ढाणी तन मन्ड्रेला, तहसील चिड़ावा।
5. रामेश्वर पुत्र सागरमल,
6. सुरेश पुत्र रामेश्वर जाति जाट, निवासी मण्ड्रेला, तहसील व जिला झुन्झुनू।

—– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 30.05.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा के आदेश दिनांक 11.02.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जिला कलक्टर, झुन्झुनू ने अपने पत्र क्रमांक प.12 (40) राज./2016/2486–201 दिनांक 26.08.2016 एवं राजस्थान सरकार (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2013/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण वं अन्य को किसी भी प्रकार की सूचना नोटिस दिये बिना व अपीलार्थीगण व अन्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कतई कोई अवसर दिये बिना ही अपीलार्थीगण की पीठ पीछे एकपक्षीय प्रस्तावित प्रस्ताव दिनांक 30.09.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को दिनांक 11.02.2016 को ग्राम मण्ड्रेला, तहसील चिड़ावा स्थित खातेदारी की कृषि भूमियों खसरा नम्बर 512 में प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने अपने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 11.02.16 के द्वारा अपीलार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में गलत रूप से रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.02.2016 की अपीलार्थीगण को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 17.05.17 को जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 18.05.17 को उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रार्थीगण उपरोत वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एवं अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में कभी भी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता विद्यमान नही रहा है, ना ही है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में मालुमात की तो अपीलार्थीगण को दिनांक 18.05.17 को निर्णय जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई तत्पश्चात् निर्णय जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के जानकारी से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2016 की अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय एवं तहसीलदार चिडावा ने इस महत्पूवूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई कोई ध्यान नही दिया कि स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में विभाजन का वाद संख्या 29/12 लम्बित था जिसमें परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 28.05.12 को पारम्भिक डिक्री तथा दिनांक 02.04.2013 को अंतिम डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष अपील संख्या 43/13 सरला बनाम सांवरमल पेश की गई जिसका राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने दिनांक 30.05.17 को निर्णय पारित कर दिया एवं वर्तमान में भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 4044/16 सरला बनाम सांवरमल विचाराधीन है। उन्होने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2016 को पारित किया हुआ है एवं तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित प्रस्ताव उसके बाद दिनांक 30.09.2016 राजस्व लोक अदालत में तैयार किये गये है, जो पश्चात्वर्ती प्रस्ताव है जिनके आधार पर फरवरी 2016 में आदेश पारित नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 निरस्त फरमाया जाकर पटवारी, तहसीलदार द्वारा दिनांकित 30.09.2016 को प्रस्तावित प्रस्ताव निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रकरण में पूर्व में ही विवादित रास्ते का निर्णय उपखण्ड अधिकारी, ने वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल में किया जाकर प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में फाईनल डिक्री पारित की जा चुकी है और उसके खिलाफ पेश आपत्ति भी राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज की जा चुकी है। उन्होने कथन किया है कि विपक्षीगण ने गलत तरीके से अभियान में यह तथ्य छुपाते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अन्य आदेश प्राप्त किया है, यह रास्ता सार्वजनिक नही है और विपक्षी के खेतों में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाता है जो कि वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल में उल्लेखित है। उन्होने कथन किया है कि विपक्षी खेत के मध्य से रास्ता निकालकर परेशान कर रहे है, इस प्रक्रिया द्वारा पूर्व में किये गये उपखण्ड अधिकारी के **निर्णय को पलट रहे है जो कि रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्तों के विपरित है।** अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद संख्या 29/2012 में पारित डिक्री के अनुसार आदेश पारित किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने जो रास्ता मानकर आदेश प्रसारित किया है वह सही व मौके के अनुसार है, उक्त रास्ता पिछले करीब 47 वर्षो से है वं प्राथी ने इस हेतु सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिलानी के समक्ष दावा किया व उसमें प्रस्तुत टी.आई. प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 08.04.2010 में स्वयं प्रार्थीयान के पिता की स्वीकृति है इसके पूर्व ग्राम पंचायत में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में उक्त रास्ते के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 10.10.2008 को पारित हो चुका है एवं दिनांक 20.10.2007 को स्वयं सांवरमल ने रास्ता स्वीकार किया है इससे मौके पर रास्ता होना स्पष्ट है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए व पूर्व मे हुऐ निर्णयों को व अपने पिता की स्वीकृति को छुपाते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव व नजरी नक्शा दिनांक 30.09.2016 को तैयार किये गये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश माह फरवरी 16 में ही पारित कर दिया गया है और इसी प्रकार माह फरवरी 16 में पारित अपीलाधीन आदेश में माह अगस्त 2016 के परिपत्र दिनांक 10.08.16 का हवाला दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का गहनता से परीक्षण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 को निरस्त किया जाता है तथा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।